

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/विविध/2025-39344/पार्ट-1

दिनांक : यथाहस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा विभाग, संभाग कार्यालय।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा

विषय:- राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग) आयोग द्वारा करवाए जा रहे सर्वे में नियुक्त नॉडल अधिकारियों/संदर्भ व्यक्तियों/प्रगणकों को सर्वे कार्य पूर्ण होने तक कार्यमुक्त नहीं करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग) आयोग द्वारा सर्वे कार्य करवाया जा रहे है, जिसमें शिक्षा विभाग के कार्मिकों को नॉडल अधिकारियों/संदर्भ व्यक्तियों/प्रगणकों के रूप में ओबीसी सर्वे कार्य हेतु लगाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक प.5(1) प्रसु/अनुभाग-1/2018 दिनांक 19.06.2026 एवं 03.07.2026 के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों के स्थानान्तरण में शिथिलन प्रदान किया गया है, जिसकी पालना में शिक्षा विभाग के कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किए जा रहे है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ओबीसी सर्वे कार्य में लगे कार्मिकों को उक्त सर्वे कार्य पूर्ण होने अथवा 31 जुलाई 2026 तक, जो भी पहले हो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावे। उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(सीताराम जाट)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ।
2. सचिव (सलाहकार), राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 08.07.2026 के क्रम में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2026.07.10 09:35:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23334687
M e-Sign

